# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला - सतना

III/पुनर्स्थापित/सतना/भू.रा./2017/3268

शैलेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी, निवासी ग्राम रहिकवारा, तहसील नागोद, जिला - सतना (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा- कलेक्टर, सतना, जिला - सतना (म0प्र0)

-- अनावेदक

**मानननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/एक/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22/08/2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 9 के नियम 32 के अधीन रेस्टोरेशन आवेदन पत्र।**

माननीय न्यायालय,

आवेदक का रेस्टोरेशन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

1- यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय, आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जोकि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी। किन्तु अभिभाषक की अनुपस्थिति के अभाव में उक्त निगरानी समाप्त कर दी गयी है।

2- यहकि, आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रकरण में सतना के स्थानीय अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मिश्रा को प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था एवं उन्हें प्रकरण से संबंधित समस्त कागजात तथा अधिवक्ता फीस प्रदान कर दी गयी थी एवं श्री मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सलाह दी गयी थी कि उसे प्रकरण में लगने वाली तारीख पेशियों पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह स्वंय उपस्थित होकर पैरवी करते रहेगें।

3- यहकि, आवेदक अपने अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मिश्रा की सलाह के अनुसार प्रकरण में तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं होते थे एवं श्री मिश्रा जी प्रकरण में उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले रहे थे। उपरोक्त प्रकरण में नियम तारीख पेशी दिनांक 30.05.2015 को प्रार्थी के अधिवक्ता किन्हीं कारणवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खरिज कर दिया गया।

4- यहकि, उक्त प्रकरण के खरिज होने की जानकारी मिलने पर आवेदक द्वारा अपने पूर्व अभिभाषक श्री रमेश कुमार मिश्रा जी के स्थान पर राजस्व मण्डल, ग्वालियर के लोकल अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी को प्रकरण को पुनः रेस्टोर किये जाकर पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया है।

5- यहकि, अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी द्वारा प्रकरण को दिनांक 05.11.15 को पुनः रेस्टोर कराया जाकर नियमित उपस्थित हो रहे थे।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

### प्रकरण कमांक तीन/रेस्टो0/सतना/भूरा/2017/3268

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4-10-17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण में हड़ताल के समय अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके थे। अतः प्रकरण रेस्टो0 किया जावे।<br>2— आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक निगरानी 94—एक/08 में आदेश दिनांक 22.8.16 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण रेस्टोर्ड किया जाता है।<br>सदस्य | |